SHAHEED UDHAM SINGH GOVT. COLLEGE

MATAK MAJRI-INDRI – 132041 DISTT. KARNAL (HR.)

E-mail: susgcmm@gmail.com www.gcmatakmajri.com

Ref. No. SUSGCMM/2025/may-57 Dated .28.05./2025

कार्यालय आदेश

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग निषेध

रैगिंग एक दंडनीय अपराध है और इसका महाविद्यालय परिसर में कोई स्थान नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी एंटी रैगिंग विनियमों एवं निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में "रैगिंग निषेध नीति" को सख्ती से लागू किया गया है।

महाविद्यालय में निम्नलिखित एंटी रैगिंग समिति का गठन किया गया है:

समन्वयक (Convenor):
डॉ. रणबीर सिंह डॉ. अनिल कुमारी

सदस्यगण:

- डॉ. प्रदीप कुमार
- डॉ. गुलाब सिंह
- डॉ. निर्मला देवी
- डॉ. मीनाक्षी देवी
- छात्र प्रतिनिधि: विक्रम सिंह

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. महाविद्यालय में रैगिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि पूर्णतः वर्जित है।
2. रैगिंग में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित छात्र के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
3. परिसर में विभिन्न स्थानों पर एंटी रैगिंग जागरूकता पोस्टर लगाए गए हैं।
4. सम्पूर्ण परिसर सीसीटीवी निगरानी में है।
5. प्रत्येक सत्रारंभ में सभी विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें रैगिंग के खिलाफ जागरूकता दी जाती है।
6. नियमित अंतराल पर विद्यार्थियों को एंटी रैगिंग से संबंधित जानकारी दी जाती है।

7. महाविद्यालय में सरप्राइज निरीक्षण के माध्यम से निगरानी रखी जाती है।

8. शिकायत पेटियाँ (Suggestion and Complaint Boxes) महाविद्यालय परिसर में लगाए गए हैं जहाँ छात्र गुप्त रूप से अपनी शिकायतें डाल सकते हैं।

9. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध है ताकि एक समावेशी वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

10. मैंटोर-मेंटी बैठकों के माध्यम से रैगिंग विरोधी विषयों पर चर्चा की जाती है।

महाविद्यालय प्रशासन सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं स्टाफ सदस्यों से अनुरोध करता है कि वे रैगिंग के विरुद्ध इस अभियान में सहयोग करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी एंटी रैगिंग समिति या महाविद्यालय प्रशासन को तत्काल दें।

Convenor. Anti Ragging.

5.8.25

Principal
S.U.S. Govt. College
Matak Majri-Indri (Karnal)